पत्रांक– वाई.ई.ए. / आर0टी0आई0 / 1993 / 2018 62527
दिनांक: 11/7 /2018

कार्यालय आदेश

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण में अधिकारियों की तैनाती व मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय द्वारा किये गये कार्य विभाजन में आदेशों के फलस्वरूप जनसूचना अधिकारियों व अपीलेट अधिकारियों के कार्यक्षेत्र / विभागों में सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के अर्न्तगत प्राप्त आवेदनों के निस्तारण हेतु कार्यालय आदेश सं0– वाई.ई.ए. / आर0टी0आई0 / कार्मिक / 1835 / 2018 / 50780 / दिनांक 28.02.2018 द्वारा जनसूचना अधिकारियों एवं अपीलेट अधिकारी नामित किये गये थे। उक्त आदेश निम्न प्रकार आंशिक संशोधित किया जाता है। तथा शेष आदेश यथावत रहेगा। :–

कमांक	जनसूचना अधिकारी	अपीलेट अधिकारी
1.	अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी	अपीलेट अधिकारी
2.	महाप्रबन्धक, (कार्मिक) (समस्त विभाग से सम्बन्धित समस्त सूचनाऐं)	नोडल अधिकारी
3.	महाप्रबन्धक (वित्त) (वित्त विभाग से सम्बन्धित समस्त सूचनाऐं)	जनसूचना अधिकारी
4.	महाप्रबन्धक (नियोजन) (नियोजन विभाग से सम्बन्धित समस्त सूचनाऐं)	जनसूचना अधिकारी
5.	महाप्रबन्धक (परियोजना) (परियोजना विभाग से सम्बन्धित समस्त सूचनाऐं)	जनसूचना अधिकारी
6.	विशेष कार्याधिकारी (एस.बी) (अपने–अपने विभाग से सम्बन्धित समस्त सूचनाऐं)	जनसूचना अधिकारी
7.	विशेष कार्याधिकारी (ए.के. तिवारी) (अपने–अपने विभाग से सम्बन्धित समस्त सूचनाऐं)	जनसूचना अधिकारी
8.	विशेष कार्याधिकारी (एम.) (अपने–अपने विभाग से सम्बन्धित समस्त सूचनाऐं)	जनसूचना अधिकारी
9.	तहसीलदार (अपने–अपने ग्रामों / प्रकरणों से सम्बन्धित समस्त सूचनाऐं)	जनसूचना अधिकारी
10.	विधि अधिकारी (विधि विभाग से सम्बन्धित समस्त सूचनाऐं)	जनसूचना अधिकारी
11.	सहायक महाप्रबन्धक (उधोग) (उधोग विभाग से सम्बन्धित समस्त सूचनाऐं)	जनसूचना अधिकारी
12.	सहायक महाप्रबन्धक (सम्पत्ति) (अपने–अपने विभाग से सम्बन्धित समस्त सूचनाए)	जनसूचना अधिकारी
13.	वरिष्ठ प्रबन्धक (कार्मिक) (अपने–अपने विभाग से सम्बन्धित समस्त सूचनाऐं)	जनसूचना अधिकारी
14.	प्रबन्धक (सम्पत्ति) (अपने–अपने विभाग से सम्बन्धित समस्त सूचनाऐं)	जनसूचना अधिकारी
15.	प्रबन्धक (सिस्टम) (अपने–अपने विभाग से सम्बन्धित समस्त सूचनाऐं)	जनसूचना अधिकारी
16.	नायब तहसीलदार (7 प्रतिशत) सम्पत्ति	जनसूचना अधिकारी

	(अपने–अपने विभाग से सम्बन्धित समस्त सूचनाऐं)	
17.	प्रबन्धक (मार्केटिंग)	जनसूचना अधिकारी

1. प्राधिकरण में प्राप्त जनसूचना अधिकार अधिनियम 2005 से सम्बन्धित आवेदन पत्रों को जनसूचना अधिकारी (कार्मिक) द्वारा एक रजिस्टर में दर्ज कराया जायेगा तथा सम्बन्धित पत्रालेख का अनुमोदन विभागाध्यक्ष से प्राप्त कर आवेदक को ससमय सूचित किया जायेगा।
2. जिन प्रकरणों में प्रार्थना पत्र द्वारा प्राधिकरण के एक से अधिक विभागों से सूचना मांगी गयी है, उन प्रकरणों में नोडल जनसूचना अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र की पृथक–पृथक छायाप्रतियॉं सम्बन्धित जनसूचना अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।
3. सम्बन्धित जनसूचना अधिकारी द्वारा अपने–अपने विभाग की सूचना 07 दिन के अन्दर नोडल जनसूचना अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी तथा नोडल जनसूचना अधिकारी द्वारा प्राप्त सूचना को संकलित कर निर्धारित समय सीमा के अर्न्तगत आवेदक को सूचना प्रेषित की जायेगी।
4. माननीय राज्य सूचना आयोग, उ0प्र0 लखनऊ में किसी अपील की सुनवाई के समय जनसूचना अधिकारी के प्रतिनिधि के रूप में सम्बन्धित सहायक जनसूचना अधिकारी उपस्थित होना सुनिश्चित करेगें तथा सम्बन्धित विभागाध्यक्ष सहा0 जन सूचना अधिकारी नामित कर सूचित करेगें।
5. आवेदन पत्रों के साथ शुल्क के रूप में प्रस्तुत नगद धनराशि अथवा संलग्न पोस्टल आर्डर/पे–आर्डर/ड्राफ्ट/चैक आदि को वित्त विभाग के माध्यम से प्राधिकरण के खाते में जमा कराने का दायित्व सम्बन्धित जन0/सहायक जनसूचना अधिकारी का होगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगें।

(शुभा सिंह)
महाप्रबन्धक (कार्मिक)

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय् के अवलोकनार्थ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी /अपीलीय अधिकारी को अवलोकनार्थ।
3. समस्त सम्बन्धित अधिकारी/विभागाध्यक्ष।
4. नोटिस बोर्ड।
5. गार्ड फाईल।
6. प्रबन्धक (सिस्टम विभाग) को पत्र इस आशय से प्रेषित है कि प्राधिकरण की बेवसाइट पर कार्यालय आदेश अपलोड कराना सुनिश्चित करें।

10.07.18

महाप्रबन्धक (कार्मिक)